

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

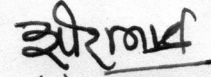
क्रमांक : एफ.4(ई)एस-1401/2013/अलेसे-III/2333

दिनांक :- 22-12-2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक के कॉलम 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए निम्नानुसार कॉलम 05 में अंकित कार्यालय से वेतन आहरण की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं	लिक नं.	नाम/पदनाम	अवधि	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है :-
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	
1	2	3	4	5
1	10569	श्रीमती सुमन कुमारी, क0 लेखाकार	दि. 03.10.2019 (दिनांक 02.10.2019 के राजकीय अवकाश सहित)	अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त सीकर, सीकर



(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)एस-1401/2013/अलेसे-III/2333

दिनांक :- 22-12-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी, भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक की सेवा पुस्तिका कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त सीकर, सीकर को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त सीकर, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक की सेवा पुस्तिका प्राप्त होने पर कॉलम 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन भुगतान की व्यवस्था करवाते हुए सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करवाने की व्यवस्था करावें।
3. उप निदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव निदेशक महोदय।
5. श्रीमती सुमन कुमारी, क0 लेखाकार, कार्यालय प्रभारी, भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, सीकर।
6. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।



(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)